173/c (69) (69)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2008/पौष 10, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 280
No. 202] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2008/PAUSA 10, 1930 [N.C.T.D. No. 280

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

फा. सं. 4/2/2007/श.वि./24185.—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा शीर्ष "इ. सफाई व जन स्वास्थ्य संबंधी उपनियम" अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (सफाई एवं जन स्वास्थ्य) उप नियम, 2008 शीर्षक से निम्नलिखित उप-नियम बनाए गए। परिषद प्रस्ताव सं. 12 (इ-1) दिनांक 18 जुलाई, 2007 द्वारा, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 388 उप-धारा (1) में सफाई एवं जन स्वास्थ्य से संबंधित उप-नियम, पूर्व के प्रकाशन के पश्चात् तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 391 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार, सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते अर्थात् :—

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

(सफाई एवं जन स्वास्थ्य) उप-नियम, 2008

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू तिथि.—(1) इन उप-नियमों को "नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (सफाई व जन स्वास्थ्य) उप नियम 2008" कहा जाये।

(2) ये उप-नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा.—(1) इन उप-नियमों में—

1. "अधिनियम" का अभिप्राय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 44) से है।

2. "परिच्छेद" से अभिप्राय अधिनियम के परिच्छेद से है।

(2) अधिनियम एवं इन उप-नियमों में भी प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्ति का अभिप्राय जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम दिये गये तात्पर्य के अनुसार ही होगा।

ए. भवनों की पुताई

3. भवनों पर चूना-पुताई आदि करने के संबंध में स्वामी के कर्तव्य.—(1) भवन के स्वामी या अधिवासी का यह कर्तव्य हो कि वह दो वर्ष में एक बार (बाह्य-गृह नौकर-चाकरों के लिए गृह सहित, यदि कोई है) भवन पर चूना-पुताई या रगदार-पुताई कराये और लक का कार्य व भवन के चूना न किये जाने वाले हिस्से में चार वर्ष में कम से कम एक बार आयल पेन्ट (तेलयुक्त रंग रोगन) करायेगा।

(2) यदि अध्यक्ष को सफाई कारणों या विसंक्रमण उपायों के रूप में आवश्यक प्रतीत होता है तो वह लिखित नोटिस (सूचना) द्व कारण बताते हुए निरीक्षण किये गये भवन के स्वामी या अधिवासी को भवन या उसके हिस्से की चूना-पुताई अथवा अन्य रूप से सफाई कर एवं लकड़ी के कार्य सहित भवन के चूना-पुताई न किये जाने वाले बाह्य या आन्तरिक या दोनों भागों—आन्तरिक व बाह्य में अपनी संतुष्टि ह ऑयल पेन्ट कराये जाने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) यदि भवन का स्वामी या अधिवासी, भवन की चूना-पुताई या रंगदार-पुताई या आयल पेंट जैसा भी मामला हो, कराने में असफल रहता है तो अध्यक्ष उसे चूना पुताई/रंगदार पुताई करने हेतु उसे उपयुक्त अवसर देने के उपरान्त आवश्यकतानुसार उसके कब्जे वाले हिस्से में चूना-पुताई रंगदार-पुताई आदि करा सकता है । अध्यक्ष इस कार्य हेतु किये गये समस्त व्यय की मांग करने मालिक या अधिवासी, जैसा भी मामला हो, द्वारा देय होगा एवं ऐसी मॉग करने के 10 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया जाता तो उक्त मॉग राशि सम्बन्धित व्यक्ति से अधिनियम के अन्तर्गत कर के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

बी. गम्भीर रोगों के संक्रमण से बचाव हेतु विशेष उपाय

4. गम्भीर रोग के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य हेतु किसी भी समय, किसी भी स्थान पर निरीक्षण किया जाए:- अध्यक्ष दिन या रात में किसी भी समय परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए अपने आशय का नोटिस देने के उपरान्त, या बिना नोटिस दिये किसी भी स्थान का, जहाँ किसी गम्भीर रोग के विद्यमान होने या संदेह होने पर यह सुनिश्चित या निर्धारित करने हेतु निरीक्षण कर सकता है कि उक्त स्थान से बाहर उक्त रोग के फैलने की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिए ।

5. गम्भीर रोगों से ग्रसित छात्रों को विद्यालय में उपस्थित न होने के आदेश दिये जायें :- यदि बच्चे की देखरेख करने वाले व्यक्ति को किसी गम्भीर रोग के संक्रमण का पता चलता है, तो वह परिषद् के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी से यह सूचना प्रपत्र (चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र) प्राप्त करने के उपरान्त कि बच्चे को विद्यालय में न भेजा जाये, तब तक बच्चों को विद्यालय जाने की अनुमति नहीं देगा, जब तक वह उक्त अधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर लेता, जिसके लिये कोई प्रभार नहीं देना होगा, कि उसकी राय में बच्चा विद्यालय में अन्य के मध्य रोग फैलाने के अनावश्यक जोखिम के बिना उपस्थित हो सकता है ।

6. गम्भीर रोग से ग्रसित रहे व्यक्ति के शव के सम्पर्क से बचना : प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास ऐसे स्थल का प्रभार या नियंत्रण है, जहाँ किसी गम्भीर रोग से ग्रसित रहे मृतक का शव रखा है, वह उपयुक्त रूप से ऐसे व्यावहारिक कदम उठायेगा जिससे शव के सम्पर्क में अनावश्यक रूप से आने वाले व्यक्तियों को रोका जा सके ।

7. विशेष उपाय : 1. परिच्छेद 2.8.7 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा किये जाने वाले विशेष उपायों एवं दिये जाने वाले निर्देशों में निम्नलिखित में से किसी को भी सम्मिलित कर सकता है, जो मुख्यतः

1. यदि किसी संक्रमित भवन या उसके किसी भाग जहाँ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का नियमित या अस्थाई निवास रहा हो, को खाली कराना बशर्ते सभी प्रभावित व्यक्तियों के पर्याप्त स्थान उपलब्ध है या अन्यत्र उपलब्ध कराया गया है ।
2. निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश, निवास या प्रस्थान के समय व्यक्ति का अनिवार्य रूप से टीकाकरण या प्रतिरक्षण टीका ।
3. चिकित्साधिकारी द्वारा व्यक्तियों की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो व्यक्तियों को संक्रमित होने, संदेहास्पद कपड़ों, बिस्तर, तथा अन्य सामान निर्दिष्ट क्षेत्र से बाहर या किसी संक्रमित भवन के समीपस्थ भवन में अधिवासित हो तथा ऐसे व्यक्ति के पते को रिकार्ड करना तथा ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन चिकित्सा जाँच हेतु निश्चित समय एवं स्थान पर अधिकतम 10 दिन तक उपस्थित होना ।
4. किसी भी वैयक्तिक मामले में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी भी स्थान पर चाहे वह सार्वजनिक हो अथवा निजी पचास से अधिक लोगों के किसी भी परिस्थिति में या किसी भी उद्देश्य हेतु एकत्र होने पर निषेध ।
5. अवधि जिसका उल्लेख किया जाए के लिए किसी छविगृह, सिनेमा हाल या मनोरंजन के अन्य स्थान को बन्द करना ।
6. किसी शैक्षिक संस्थान को, संस्थान के प्रभारी प्राधिकरण को लिखित नोटिस द्वारा नोटिस में उल्लेखित अवधि हेतु बन्द करना ।
7. किसी उल्लेखित क्षेत्र के सामान या मदों जिनके किसी गम्भीर रोग से संक्रमित होने या संक्रमण रहने की संभावना हो या ऐसे किसी रोग से व्यक्तियों के संक्रमित होने या

ऐसे किसी सामान या मदों के विनाश की सम्भावना है, तो ऐसे स्थान पर निर्यात करने या वहाँ से आयात अथवा उस स्थान पर परिवहन पर प्रतिबन्ध ।

8. नई दिल्ली में सड़क या रेल मार्ग द्वारा आयात अनाज या अन्य खाद्य सामग्री कपास या कपड़े के किसी सामान की आवश्यकता हो तो नई दिल्ली में किसी स्थान पर जाँच करना, सामान उतारना और विसंक्रमण करना ।

9. सभी अथवा किसी वर्तमान बाजार, मार्किट को बन्द करना और मार्किट या बाजार लगाने के लिए विशेष स्थानों को चिन्हित करना ।

(2) अध्यक्ष अपने विवेक से इस उपनियम के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति के विनाश से हुए अत्यधिक घाटे की क्षतिपूर्ति कर सकता है तथा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के अलावा इस उपनियम में निर्दिष्ट अधिकारों के कार्यान्वयन के कारण हुए किसी प्रकार के घाटे या क्षति हेतु कोई क्षतिपूर्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा ।

सी. अनेक मामलों में मृतकों का अंतिम संस्कार

8. अनेक मामलों में मृतकों का अंतिम संस्कार: (1) किसी व्यक्ति की गम्भीर रोग से मृत्यु होने पर उसके मृत शरीर को परिषद के चिकित्साधिकारी की लिखित अनुमति के बिना 12 घण्टे से अधिक सार्वजनिक शव गृह के अलावा और किसी भी स्थान पर नहीं रखा जाये ।

2 यदि ऐसे कोई शव, जिसे सार्वजनिक शव गृह में नहीं रखा गया है, उपरोक्त वर्णित स्वीकृति के बिना, को 12 घण्टे से अधिक समय तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है या किसी शव को किसी भवन में रखा जाता है, जिससे उस भवन या संलग्न भवन या आसपास के भवन के आवासियों के स्वास्थ्य को खतरा हो, तो एक दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट), अध्यक्ष के आवेदन पर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर शव का अंतिम संस्कार करने का आदेश दे सकता है और ऐसा आदेश दिए जाने पर यदि मृतक व्यक्ति के सम्बन्धी या मित्रगण आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर शव का संस्कार करने का वचन न दें तो अध्यक्ष शव का अंतिम संस्कार करवा सकता है ।

3 अध्यक्ष द्वारा शव के अंतिम संस्कार हेतु व्यय की गई राशि कानूनी रूप से उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाएगी यदि अध्यक्ष द्वारा गरीबी के आधार पर वसूली की छूट नहीं दे दी जाती ।

डी. शमशान भूमि या कब्रिस्तान के स्थल का पंजीकरण आदि

9. शमशान भूमि या कब्रिस्तान आदि के स्थानों का पंजीकरण:- प्रत्येक स्वामी या व्यक्ति, जिसके पास शवों को जलाकर या शव का अन्य पद्धति द्वारा अंतिम संस्कार करने वाले स्थान का नियंत्रण होगा, इसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अध्यक्ष द्वारा नियुक्त परिषद् अधिकारी के पास रखे रजिस्टर में शवों के संस्कार का पंजीकरण करेगा तथा उक्त स्थल के पंजीकरण के समय परिषद् कार्यालय में उक्त स्थल की सीमा एवं चार दीवारी दर्शाता हुआ एक नक्शा प्रस्तुत करेगे, जिस पर लाईसेंस प्राप्त वास्तुविद् या अभियन्ता के यह दर्शाते हुए हस्ताक्षर होगे कि यह उन्होंने तैयार किया है या उनके पर्यवेक्षण में तैयार किया गया है।

10. शवों के अंतिम संस्कार के लिए नये स्थानों का प्रावधान :-यदि मृत शरीरों के अंतिम संस्कार हेतु वर्तमान स्थल किसी समय अपर्याप्त प्रतीत होते है या परिच्छेद 302 के अन्तर्गत ऐसा कोई स्थान बन्द कर दिया जाता है, तो परिषद् की स्वीकृति से उक्त उद्देश्य हेतु अध्यक्ष अन्य उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उपनियम-9 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में शवों के संस्कार का पंजीकरण किया जायेगा तथा इस प्रकार प्रदत्त किए गए प्रत्येक स्थल के पंजीकरण के समय उक्त स्थान की सीमा एवं चार दीवारी दर्शाते हुए एवं परिषद् के मुख्य वास्तुविद् के हस्ताक्षरों से नक्शा परिषद् में प्रस्तुत करना होगा ।

11. शव के अंतिम ससकार के लिए बन्द हुए स्थानों को पुनः खोलने हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति प्रदान कर सकता है :-धारा 302 के अन्तर्गत या किसी अन्य कानून या नियम के अन्तर्गत पूर्व में, किसी शमशान भूमि को बन्द किया जा चुका है और कुछ समय बाद यदि अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने पर पाता है कि इस स्थान पर अन्तिम संस्कार करना अब स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं है तथा कोई खतरा नहीं है, तो वह इस सम्बन्ध में परिषद् को सूचित कर सकता है जो यह निर्देश दे सकती

है कि ऐसे स्थान को शव के अंतिम संस्कार हेतु पुनः खोल दिया जाए। प्रत्येक ऐसे आदेश को उपनियम 9 के अन्तर्गत बने रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

ई. शव के अन्तिम संस्कार के लिए निषिद्ध कार्यकलाप

12. शव के अंतिम संस्कार सम्बन्धी निषिद्ध कार्यकलाप : कोई भी व्यक्ति –

1. मृत्यु उपरान्त किसी शव को लम्बे समय तक बिना जलाये या दफनाये या उक्त शव का विधि विधान द्वारा संस्कार किये बिना किसी परिसर में लम्बी अवधि तक नहीं रखेगा ताकि प्रदूषण न हो।
2. किसी शव या इसके किसी हिस्से को बिना उचित रूप से ढके और सावधानी बरते बिना किसी गली से नहीं ले जा सकता, जिससे कि जन स्वास्थ्य को क्षति या संक्रमण का डर हो तथा इस सम्बन्ध में अध्यक्ष समय-समय पर सार्वजनिक सूचना द्वारा उचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए नोटिस जारी कर सकता है।
3. शव या उसके भाग को ले जाने के लिए कोई अन्य मार्ग उपलब्ध न होने की स्थिति में उस मार्ग द्वारा ले जा सकता है, जो अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से शव ले जाने हेतु निषिद्ध किया गया है।
4. चीर फाड़/शल्य क्रिया किये गये या इस हेतु रखे गये शव या उसके हिस्से को किसी बंद पात्र या बंद वाहन से नहीं हटायेगा।
5. किसी शव या उसके किसी भाग को ले जाते हुए बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के किसी गली के समीप किसी स्थान पर न तो रखेगा एवं न ही छोड़ेगा।

एफ. शवों का अंतिम संस्कार

(i) कब्रिस्तान

13. शवों का अंतिम संस्कार:- (1) कोई भी व्यक्ति या कब्रिस्तान का प्रभारी या स्वामी होने के कारण किसी शव को नई दिल्ली के कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं देगा यदि निम्न शर्तों के अनुरूप नहीं दफनाया जाता है।

1. शव के कब्रिस्तान में पहुंचने के 6 घण्टे के भीतर उसे दफना दिया जायेगा तथा इसकी समय अवधि को केवल जमीन के अन्दर चट्टान होने की स्थिति में इस समयावधि को 8 घण्टे तक बढ़ाया जा सकता है।

2. उक्त शव को किसी ऐसी कब्र में नहीं दफनाया जायेगा, जिसमें कोई शव पूर्व अवधि, जिसका निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, में दफ्नाया गया हो ।

3. कि कब्र इतनी गहरी होगी कि ताबूत या शरीर का प्रत्येक अंग सतह स्तर से न्यूनतम 1. 3 मीटर नीचे हो, यदि ईट-पत्थर की चिनाई की गई है एवं यदि चिनाई नहीं है, तो इसे 1. 83 मी. की गहराई में रखा जाय एवं शव को पिछले दस वर्षों के भीतर दफनाये गये अन्य शव से कम से कम 0.6 मीटर दूरी पर दफ्नाया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति या कब्रिस्तान का स्वामी या प्रभारी होने के नाते नई दिल्ली में कब्रिस्तान से संक्रमण या छूत की खतरनाक बीमारी से भरे उस व्यक्ति के कपड़े या अन्य सामान जो उसके शव के साथ लाये गये हो या जो उसके सम्पर्क में रहा हो, को न तो स्वयं हटायेगा एवं न ही हटाने की अनुमति देगा । जिस कब्रिस्तान पर शव को दफनाया गया हो उस कब्रिस्तान के जिम्मेदार व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह शव को लाने वाली अर्थी या जिस पर शव लाया गया है, को जला कर उस राख को उक्त व्यक्ति के शव को सम्पर्क में आने वाले सभी कपड़ों, अर्थी व अन्य सामान के साथ दफ्ना दे ।

(3) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना न तो कब्र को खोदेगा एवं न ही शव को निकालेगा ।

(ii) शमशान

14. शवों को जलाते हुए अंतिम संस्कार

(1) कोई भी व्यक्ति या शमशान घाट का प्रभारी या स्वामी होने के कारण किसी शव को नई दिल्ली के शमशान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देगा यदि निम्न शर्तों के अनुरूप अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है :-

(अ) शमशान भूमि में शव के पहुंचने के 6 घण्टे के भीतर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा ।

(ब) शव को पूर्णरूपेण अथवा शव का कोई हिस्सा बिना जलाये जब तक धार्मिक रीति-रिवाज सम्बन्धी नियम न हो, पूर्णत: जलाए बिना नदी में प्रवाह नहीं किया जाएगा ।

(स) जब तक शव पूरी तरह राख में नहीं बदल जाता, अस्थियों के अलावा वहाँ शव का कोई भी भाग, हिस्सा, अंश नहीं हटाया जाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति चिता में उपयोग किया गया कोयला, लकड़ी या ईंधन को नहीं हटाएगा और शमशान भूमि का स्वामी या प्रभारी यह देखेगा कि सारी लकड़ी, कोयला या अन्य ईंधन राख में बदल गया है ।

(3) कोई भी व्यक्ति या उस शमशान का स्वामी या प्रभारी होने के नाते नई दिल्ली की उस शमशान भूमि से छूत की बीमारी या खतरनाक बीमारी से मरे व्यक्ति की चिता का कोई भी सामान या उसकी अर्थी या कपड़े अथवा उसके सम्पर्क का कोई भी सामान नहीं हटाएगा । उस शव के साथ आयी अर्थी, बिस्तर, कपड़े व सम्पर्क में आया दूसरा सामान जलकर राख हो गया है, की जिम्मेदारी शमशान भूमि के प्रभारी एवं उस शव को जलाने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की होगी ।

जी. सामान्य

15. सामान्य:- (1) मृतक के रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा विधि सम्मत रूप से किये जाने वाले रीति-रिवाजों के निष्पादन में कोई भी व्यक्ति शमशान भूमि अथवा कब्रिस्तान पर विघ्न-बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ।

(2) (i) प्रत्येक शमशान भूमि या कब्रिस्तान में एक पालिका कर्मचारी नियुक्त होगा और शव को जलाने व दफनाने के प्रत्येक मामले में वह मृतक का नाम, आयु, लिंग, धर्म, जाति, व्यवसाय, मृतक का पूरा नाम, मृत्यु का कारण, दिनांक, मृत्यु स्थान, शव को लाने वाले व्यक्ति का नाम/पता, शव को जलाने या दफनाने का समय, जैसा भी मामला हो, की प्रविष्टियाँ रजिस्टर में करेगा ।

(ii) उक्त कर्मचारी प्रत्येक माह की पहली तारीख को परिषद् के स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को रजिस्टर की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ।

NDMC

(3) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना नई दिल्ली स्थित किसी भी कब्रिस्तान या शमशान की सीमा में 1.83 मीटर से अधिक लम्बा, 1.3 मीटर से अधिक चौड़ा और भूतल से 0.9 मीटर से अधिक ऊँचा ईट-पत्थर की चिनाई युक्त मकबरा या समाधि नहीं बनायेगा ।

(4) यदि अध्यक्ष ऐसा चाह, तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि का स्वामी या प्रभारी उस भूमि के चारों तरफ अध्यक्ष की संतुष्टि के अनुसार, दीवार, बाड़ या तार लगाएगा ।

(5) कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना किसी शव को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थल के अलावा शव को अन्यत्र न तो जलायेगा और न ही दफनायेगा और न ही ऐसा करने में सहायता करेगा ।

(6) जारी सूचना द्वारा परिच्छेद (धारा)302 के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा बन्द किये गये किसी शमशान या कब्रिस्तान में किसी शव को न तो जलायेगा, न ही दफनायेगा एवं न ही ऐसा करने में सहायता करेगा ।

(7) कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान की निर्धारित सीमा के अंदर अध्यक्ष या अधिकृत व्यक्ति की स्वीकृति के बिना कब्रिस्तान में न तो कब्र खोदेगा और न ही खोदने में सहायता करेगा ।

एच. - छूट

16. ईसाई कब्रिस्तान पर उप-नियम लागू नहीं : केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत बिनियमित ईसाई कब्रिस्तान पर ये उपनियम लागू नहीं होंगे ।

आई. - दण्ड

17. दण्ड - जो कोई

1. निम्न तालिका के प्रथम कॉलम में वर्णित किसी भी उपनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने पर; अथवा

2. उक्त प्रावधान के अंतर्गत उसे कानून सम्मत दिया गया आदेश या निर्देश का अनुपालन न करना दंडनीय होगा :

(1) जुर्माने, जिसे दूसरे कालम में दी गई निर्धारित राशि तक बढ़ाया जा सकता है

(ii) सतत उल्लंघन या अनुपालन न करने के मामले में अतिरिक्त जुर्माने की राशि को तालिका के तीसरे कॉलम में उल्लेखित राशि तक प्रतिदिन की दर से ऐसे प्रथम उल्लंघन या अनुपालन न करने का दोषी सिद्ध होने के वक्त से लेकर उल्लंघन जारी रखे जाने की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है ।

तालिका

उपनियम का नम्बर	अधिकतम अधिरोपित की जा सकने वाली राशि (रुपये)	अधिरोपित की जा सकने वाली अधिकतम दैनिक जुर्माना राशि (रुपये)
(1)	(2)	(3)
3	100.00	20.00
5	25.00	–
6	50.00	–
9	500.00	20.00
12 और 13	50.00	–
14	500.00	–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार एवं उनके नाम से,
कुलदीप सिंह गंगर, संयुक्त सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st December, 2008

F. No. 4/2/2007/UD/24185.—The following Bye-laws titled the New Delhi Municipal Council (Sanitation and Public Health) Bye-Laws, 2008 made by the New Delhi Municipal Council under the Head "E. Bye-laws relating to sanitation and public health" in sub-section (1) of Section 388 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide Council's Resolution No. 12(E-I) dated the 18th July, 2007, after previous publication and with the prior approval of the Government of National Capital Territory of Delhi, as required under Section 391 of the said Act, are hereby published for general information, namely :—

NDMC

"THE NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (SANITATION AND PUBLIC HEALTH) BYE-LAWS, 2008

1. **Short title and commencement**:- (1) These Bye-laws may be called the New Delhi Municipal Council (Sanitation and Public Health) Bye- Laws, 2008.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions**:- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994);

(b) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these bye-laws, but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

A. WHITE-WASHING OF BUILDINGS

3. **Duty of the owner to lime-wash, etc. of the buildings.**-- (1) It shall be the duty of the owner or the occupier of a building to have the building (including out-house, if any) lime-washed or colour-washed at least once in two years and the wood-work and non-lime washable portion of the building to be oil painted at least once in four years.

(2) If it appears to the Chairperson necessary for sanitary reasons or as a measure of disinfection so to do, he may, at any time, by written notice require the owner or occupier of any building which is inspected, to cause the same or some portion thereof to be lime-washed or otherwise cleansed and the woodwork and the non-lime washable portion of the premises oil painted either externally or internally or both externally and internally to his satisfaction.

(3) If the owner or the occupier of a building of an area thereof under his possession fails to have lime washed or colour washed or oil painted, as the case may be, the Chairperson may, after giving him a reasonable opportunity for doing so, get such building or area lime washed, colour washed or oil painted as may be necessary. All the expenses incurred by the Chairperson on this account shall be payable to him by the owner or occupier, as the case may be, on demand and if not paid within ten days after such demand shall be recoverable from the person concerned as an arrear of tax under the Act.

B. SPECIAL MEASURES TO PREVENT SPREAD OF DANGEROUS DISEASES

4. **Any place may be inspected at any time for purpose of preventing spread of dangerous disease.**--- The Chairperson may, at any time, by day or by night, either after giving such notice of his intention as shall in the circumstances appear to him to be reasonable or without notice, inspect any place in which any dangerous disease is reported or suspected to exist, to ascertain and determine what measures should be taken to prevent the spread of the said disease beyond such place.

5. **Child liable to carry dangerous disease may be ordered not to attend school.**--- A person having the care of a child who is, or who has been exposed to infection of a dangerous disease, shall not, after receiving notice from the Medical Officer of Health of the Council that the child is not to be sent to school, permit the child to attend school until he has obtained from the said officer a certificate for which no charge shall be made, that in his opinion the child may attend school without undue risk of communicating the disease to others.

6 **Avoidance of contact with body of a person who suffered from dangerous disease.**--- Every person having the charge or control of any

NDMC

place in which is lying the body of a person who has died while suffering from a dangerous disease shall take such steps as may be reasonably practicable to prevent persons coming unnecessarily into contact with proximity to the body.

7. **Special measures.**— (1) The special measures to be taken and directions to be given by the Chairperson under section 287 may include any of the following matters, namely —

(a) The evacuation of any infected building used as a dwelling or of any part thereof by the person or persons residing whether habitually or temporarily therein, provided sufficient accommodation for all the persons affected is available, or is provided elsewhere.

(b) Compulsory vaccination, or preventive inoculation of person, entering, residing in, or leaving specified areas.

(c) The examination by a medical officer of persons, and, if necessary, the disinfection of the clothing, bedding or other articles suspected of being infected belonging to persons either arriving from outside a specified area or residing in any building adjacent to any infected building in that area, the recording of the address of such persons, and the daily presentation of such persons for medical examination at a specified time and place, for a period not exceeding ten days.

(d) The prohibition either generally or by special order in any individual case, of assemblages consisting of any number of persons exceeding fifty, in any place, whether public or private, or in any circumstances, or for any purposes.

(e) The closure for a period to be specified of any theatre, cinema-house or other place of entertainment.

(f) The closure of an educational institution, by a written notice to the authorities in charge of such institution, for such period as is specified in the notice.

(g) Restrictions on the export from, or import into, or transport within, a specified area of any goods or articles exposed to, and likely to retain infection from a dangerous disease, or likely to infect persons with any such disease, or the destruction of any such goods or the articles.

(h) The examination, unloading and disinfection, if necessary, at any place within New Delhi of any consignment of grain or other goods stuff, cotton or clothing imported into New Delhi by road or rail.

(i) Closure of all or any existing markets and bazaars and appointment of special places where markets or bazaars may be held.

(2) The Chairperson may, in his discretion, give compensation to any person who sustains substantial loss by the destruction of any property under this bye-law, but, except as allowed by the Chairperson, no claim for compensation shall lie for any loss or damage caused by the exercise of the powers specified herein.

C. DISPOSAL OF DEAD BODIES IN CERTAIN CASES

8. **Disposal of dead bodies in certain cases.**---- (1) No person shall, without the written sanction of the Medical Officer of Health of the Council, retain in any place other than a public mortuary, for more than twelve hours the body of any person who has died while suffering from a dangerous disease.

(2) If any such body, not being a body kept in a public mortuary, remains undisposed of for more than twelve hours without sanction as aforesaid or if the dead body of any person is retained in any building so as to endanger the health of the inmates thereof or of an adjoining or neighboring building, a magistrate may, on the

NDMC

application of the Chairperson, order the body to be removed and disposed of within a specified time, and on such order being made, unless the relatives or friends of the deceased person undertake to, and do cause the body to be disposed of within the time specified in the order, the Chairperson shall cause the body to be disposed of.

(3) Any expenses reasonably incurred by the Chairperson in so doing shall be paid by any person legally liable to pay the expenses of the disposal of the body unless the Chairperson waives recovery on the ground of poverty.

D. REGISTRATION, ETC. OF BURNING OR BURIAL GROUNDS

9. Registration of burning or burial places, etc.--- Every owner or person having control of place used for burning or otherwise disposing of the dead, shall cause the same to be registered in a register which shall be kept by a municipal officer charged by the Chairperson with the duty, and shall deposit in the Council office at the time of registration a plan of the said place, showing the extent and boundaries thereof, bearing the signature of a licensed architect or engineer in token of it having prepared by, or under the supervision of such architect or engineer.

10. Provisions of new places for disposal of the dead.--- If the existing places for the disposal of dead bodies shall at any time appear to be insufficient, or if any such place is closed under section 302, the Chairperson shall, with the sanction of the Council, provide other fit and convenient places for the said purpose and shall cause the same to be registered in the register kept under bye-law 9, and shall deposit in the Council office, at the time of registration of each place so provided a plan thereof, showing the extent and boundaries of the same and bearing the signature of the Chief Architect of the Council.

11 **Chairperson may sanction the reopening of places which have been closed for the disposal of the dead.**--- If, after personal inspection, the Chairperson is at any time of the opinion that any place formerly used for the disposal of the dead bodies which has been closed under section 302, or under any other law or authority, is by lapse of time or otherwise no longer dangerous to health and may without risk or danger be again used for the said purpose, he may make a report in that behalf to the Council which may direct that such place be reopened for the disposal of the dead. Every order so made shall be noted in the register kept under bye-law 9.

E. ACTS PROHIBITED FOR DISPOSAL OF THE DEAD

12. **Acts prohibited in connection with the disposal of the dead.**---No person shall---

(a) retain a corpse on any premises, without burning, burying or otherwise lawfully disposing of the same, for so long a time after death as to create a nuisance;

(b) carry a corpse or part of a corpse along any street without having and keeping the same decently covered or without taking such precautions to prevent risk of infection or injury to the public health as the Chairperson may by public notice, from time to time, think fit to require;

(c) except, when no other route is available, carry a corpse or part of a corpse along any street along which the carrying of corpses is prohibited by a public notice issued by the Chairperson in this behalf;

(d) remove a corpse or part of a corpse, which has been kept or used for purposes of dissection otherwise than in a closed receptacle, or vehicle;

(e) whilst conveying a corpse or part of a corpse, place or leave the same on or near any street without urgent necessity.

5058 DG/08—3

NDMC

F. DISPOSAL OF DEAD BODIES

(i) Grave yard

Disposal of dead bodies by burial.—(1) No person shall bury or cause to be buried, the body of any person or, being the owner or person in charge of a burial ground, shall permit to be buried the body of any person in a burial ground in New Delhi otherwise than in accordance with the following conditions:

(a) the body shall be interred within six hours after its arrival at the burial ground which may be extended to eight hours in special cases where delay is due to rockiness of the ground;

(b) the body shall not be buried in any grave in which another body has been interred during such previous period as may be determined by the Chairperson; and

(c) the grave shall be of such a depth that every part of every coffin or body is at least 1.3 metres below the surface level, if confined in masonry; and 1.83 metres if not so confined and the body shall be buried not less than 0.6 metre from any other body interred during the last ten years.

(2) No person shall remove or, being the owner or person in charge of a burial ground, permit to be removed from such burial ground in New Delhi the bier or other thing on which the dead body of any person who has died of any infectious or contagious disease was brought to such burial ground or any clothes or bedding or other thing with which such body has been in contact. The person responsible for the burial ground shall cause such bier or other thing on which such body was brought to such burial ground to be buried to ashes, together with such clothes, bedding or other thing with which such dead body had been in contact

unless such clothes, bedding or other thing have been buried with such dead body.

(3) No person shall, without sanction of the Chairperson, exhume a dead body or re-open a grave.

(ii) Crematorium

14. **Disposal of dead bodies by burning.** (1) No person shall burn the dead body of any person or cause a dead body to be burnt, or, being the owner or person in charge of a burning place, permit a dead body to be burnt in New Delhi otherwise than in accordance with the following conditions:

(a) The body shall be burnt within six hours after its arrival at the burning place.

(b) No part of the body shall remain unconsumed unless in any case the rules or custom of religion demand that the whole or a portion of corpse shall be thrown in a river.

(c) No part of the body except the ashes shall be removed from the burning place until it is completely reduced to ashes.

(2) No person shall remove wood, coal or other fuel that has been used in the pyre from the burning ground and the owner or person in charge of the ground shall see that all such wood, coal or other fuel is reduced to ashes.

(3) No person shall remove or, being the owner or person in charge of a burning ground, permit to be removed from such burning ground in New Delhi the bier or other thing on which the dead body of any person who has died of any infectious or contagious disease was brought to such burning ground or any clothes or bedding or other thing with which such body has been in contact. The person responsible for the burning of such body and the person in charge of such burning ground shall cause such bier or other thing on which such dead body was brought to such

NDMC

burning ground to be burnt to ashes, together with such clothes, bedding or other things with which such dead body has been in contact.

G. GENERAL

15. General.---(1) No person shall interrupt or hinder the performance at the burial or burning ground of such lawful funeral rites and ceremonies as the relatives and friends of the deceased wish to perform.

(2) (i) At each burial and burning ground there shall be stationed a municipal employee and in every case of burial or burning, he shall enter in register, the name, age, sex, caste, religion, occupation, full address of deceased, the cause of death, the disease, the date, place of death, the name and address of person bringing the corpse and the date and hour of burial or burning of the corpse, as the case may be.

(ii) He shall furnish a copy of the register to the Medical Officer of Health of the Council on the first of each month.

(3) No person shall, except with the written permission of the Chairperson, erect any masonry tomb exceeding 1.83 metres in length, 1.3 metres in breadth and 0.9 metre in height from the ground level or any Samadhi within the limits of any burial or burning ground within New Delhi.

(4) If the Chairperson so requires, the owner or person in charge of every burial or burning ground shall enclose it with walls, fences, or hedges, to the satisfaction of the Chairperson.

(5) No person shall without the special permission of the Chairperson or an officer duly authorized by him bury or burn, or cause to be buried or burnt, the dead body of any person any where except in or at a burial or burning ground specially assigned for the purpose.

(6) No person shall bury and burn, or cause to be buried or burnt the dead body of any person in or at any burial or burning ground which has been closed by a notice issued by the Chairperson under section 302.

(7) No person shall make, or cause to be made, a grave in any burial ground, except within the limits marked out for the purpose by a person, duly authorized in this behalf by the Chairperson.

H. EXEMPTION

16. **Bye-laws not applicable to Christian cemetery.---** These bye-laws shall not apply to any Christian cemetery regulated under orders of the Central Government.

I. PENALTIES

17. **Penalties.**—Whoever -

(a) contravenes any provision of any of the bye-laws mentioned in the first column of the Table below; or

(b) fails to comply with any order or directions lawfully given to him or any requisition lawfully made upon him under any of the said provision, shall be punishable:-

(i) with fine which may extend to the amount specified in the second column of the said Table; and

(ii) in the case of continuing contravention or failure, with an additional fine which may extend to the amount specified in the third column of that

Table for every day during which such contravention or failure continues after conviction for the first such contravention or failure.

TABLE

Number of bye-law	Maximum fine which may be imposed (Rs.)	Maximum daily fine which may be imposed (Rs.)
(1)	(2)	(3)
3	100.00	20.00
5	25.00	—
6	50.00	—
9	500.00	20.00
12 & 13	50.00	—
14	500.00	—

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP SINGH GANGAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.